



# झारखण्ड सरकार

## झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे.सी.ई.सी.ई.बी./31/20-10

राँची/दिनांक: 12/02/2021

**दन्त-चिकित्सा संस्थान, रिम्स, राँची के बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में शैक्षणिक वर्ष-2020-21 में रिक्त सीटों पर नामांकन के लिये इच्छुक अभ्यर्थियों का NEET (UG) -2020 परीक्षाफल आधारित राज्य मेधा-सूची तैयार करने एवं उसके आधार पर बी.डी.एस. (B.D.S.) पाठ्यक्रम में नामांकन के निमित्त Counselling के आयोजन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना**

दन्त चिकित्सा संस्थान, रिम्स, राँची के बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में शैक्षणिक वर्ष-2020-21 में नामांकन के लिये इच्छुक अर्हित (Qualified) उम्मीदवारों का NEET (UG) -2020 परीक्षाफल आधारित राज्य मेधा-सूची तैयार करने हेतु पर्षद द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त संस्थान में विभिन्न कोटियों के अन्तर्गत 12 सीटें रिक्त हैं जिसकी विवरणी Download कॉलम में देखी जा सकती है। इच्छुक उम्मीदवारों को पर्षद द्वारा दिनांक 28.10.2020 को जारी विज्ञापन संख्या-जे.सी.ई.सी.ई.बी./31/20-62 में निहित शर्तों को पूरा करना होगा। उन्हें अपने दावों यथा शैक्षणिक, आवासीय, आरक्षण, दिव्यांगता के समर्थन में सक्षम पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण पत्रों को भारित (Upload) करना अनिवार्य होगा।

2. प्रथम, द्वितीय एवं Mop-up Round साक्षात्कारों से अनुशंसित एवं चिकित्सा संस्थानों में नामांकित अभ्यर्थी, संस्थान एवं पाठ्यक्रम को बदलने हेतु उक्त साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं।

3. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, राँची के पत्रांक-10/दंत-06-03/2013(पार्ट-1)स्वा0-21(10) दिनांक 12.02.2021 द्वारा संसूचित किया गया है कि Percentile को हर वर्ग में 10% कम कर दिया गया है। अतः उक्त संशोधित योग्यता मानदंड (Qualifying Criteria) के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थी भी बी0डी0एस0 (B.D.S.) पाठ्यक्रम में नामांकन के लिये ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

4. Medical Counselling Committee के पत्रांक REF.U11011/04/2020-MEC दिनांक 09.12.2020 में वर्णित निर्देश "It is also to be noted that candidates who join their allotted seat of All India Quota/Central University of Round-2 will not be able to resign from their allotted seat and candidates who have joined a seat in Deemed Universities in Round-2 will not be eligible to participate in any further rounds of counselling in compliance with the directions of Hon'ble Supreme Court of India dated 09-05-2017 passed in W.P No. 267 of 2017 Dar-Us-Slam Educational Trust Vs. MCI & Ors." के आलोक में पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी ही उक्त Counselling में शामिल हो सकते हैं।

5. अभ्यर्थियों/संबंधित अभिभावकों/संबंधित संस्थान को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि Counselling निम्न कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जायेगी :-

Sl. No.	Activity	Date	
		From	To
1	Online Application Form Submission for Admission in Dental Institute, RIMS, Ranchi	13/02/2021	14/02/2021
2	Publication of Final State Merit	15/02/2021	
3	Date of Online Registration and Choice Filling for Seat Allotment	16/02/2021	

4	Issue of Provisional Seat Allotment Letter	17/02/2021	18/02/2021
5	Documents Verification and Admission in the Concerned Dental Institute	17/02/2021	18/02/2021


6. अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान तथा पाठ्यक्रम को पर्यटन के वेबसाइट पर उपलब्ध "Online Counselling for Admission in B.D.S.-2020" Link में Click कर दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुसरण करते हुए विकल्प को भरा जाना है।

7. आवेदन/निबंधन तथा साक्षात्कार शुल्क :- अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन/निबंधन तथा साक्षात्कार शुल्क Payment Gateway के माध्यम से Credit Card/Debit Card/Net Banking/UPI के द्वारा निम्न तालिका के अनुसार भुगतान किया जाना है जो अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा :-

Sl.No.	Category/Quota	Application Fee	Counselling Fee
1.	General/EWS/BC-I/BC-II	Rs. 500.00	Rs. 1,000.00
2.	SC/ST/Female Candidate of all Categories	Rs. 250.00	Rs. 500.00
3.	Divyang Candidate of any Category	-	Rs. 500.00

8. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, राँची के पत्रांक-09/नामांकन-02-05/17-284(9) दिनांक-13.11.2020 से प्राप्त निर्देश के आलोक में एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में दिव्यांग-जनों के लिये आरक्षित सीटों पर नामांकन के संबंध में BOARD OF GOVERNORS IN SUPERSESION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA द्वारा निर्गत संशोधित अधिसूचना सं0-34(41)/2018-मेड/170045 दिनांक- 04.02.2019 के परिशिष्ट - "ज" में उल्लेखित "एम0बी0बी0एस0 में दाखिले के संबंध में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम-2016 के अंतर्गत विशिष्ट विकलांगताओं वाले छात्रों के दाखिले से संबंधित दिशा निर्देश" में अंकित प्रावधान के अनुसार पर्यटन द्वारा कार्रवाई की जायेगी। विज्ञापन संख्या- जे.सी.ई.सी.ई.बी./31/20-62 दिनांक 28.10.2020 की कंडिका 3(c) को इस हद तक संशोधित समझा जाय तथा अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

परीक्षा नियंत्रक के आदेश से,

  
(रंजीता हेम्ब्रम, आ.प्र.सो.)  
उप परीक्षा नियंत्रक